छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

मुख्यालय, सेक्टर–24, ऑफिस कैम्पस, ब्लाक–7/ए, द्वितीय तल,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्थापना–1/2023/784 A

रायपुर, दिनांक 20/09/2023

निविदा प्रपत्र में संशोधन सूचना

निगम द्वारा निविदा सूचना क्रमांक 695/A दिनांक 25.08.2023 के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के निर्दिष्ट स्थानों में गुणवर्ता कार्य संपादन हेतु गुणवत्ता कार्य में दक्ष 52 गुणवत्ता कर्मी की सेवाएँ मानव संसाधन के रूप में 06 (छः) माह के लिए प्लेसमेंट एजेंसी (आउटसोर्सिंग) के माध्यम से लिए जाने हेतु दिनांक 27.09.2023 को निविदा आमंत्रित किया गया है।

उक्त निविदा प्रपत्र के नियम एवं शर्ते के में संशोधन किया जा रहा है जो कि निम्नानुसार हैः–

सरल कं.	कंडिका क्र.	पूर्व में जारी निविदा	जारी निविदा में संशोधन किया गया
1	निविदा की नियम व शर्ते की मुख्य कंडिका 4 में बिंदु कं. VII पर	गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष मानव संसाधन की मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति) 18000.00 देय।	संशोधित करते हुए गुणवत्ता परीक्षण कार्य में दक्ष मानव संसाधन की मानदेय एकमुश्त (प्रतिमाह/ प्रतिव्यक्ति) 14200.00 देय।
2	निविदा की नियम व शर्ते की मुख्य कंडिका 6 में बिंदु कं. III पर	यदि दो या दो से अधिक निविदादाता को वित्तीय मूल्याकंन में सामान दर प्राप्त होते है, तो कार्य का आंबटन हेतु निविदाकार को निविदा समिति के समक्ष वर्तमान में पंजीकृत मानव संसाधन की योग्यता एवं कौशल विकास का प्रस्तुतीकरण करना होगा। तत्पश्चात निविदा समिति सफल प्रस्तुतीकरण करने वाले निविदाकार की दरें स्वीकृति करने की अनुशसा करेगी। जिस पर अंतिम निर्णय प्रबंध संचालक द्वारा किया जायेगा।	यदि दो या दो से अधिक निविदादाता को वित्तीय मूल्यांकन में समान दर प्राप्त होते हैं, तो कार्य का आबंटन समान अनुपात में किया जावेगा।
3	निविदा की नियम व शर्ते की मुख्य कंडिका 11 पर	यदि कोई भी फर्म निरंक चार्जेस की राशि निविदा में भरता हैं तो इस तरह की निविदा दर को गैर–जिम्मेदार माना जाएगा और इस पर विचार नही किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित टीडीएस (आयकर/जीएसटी) एवं अन्य तरह के दायित्व की वैधानिक कटौती को पुरा करने के लिए सेवा शुल्क पर्याप्त होना चाहिए। निविदा में भरी गई दरें/सेवा शुल्क की राशि वैधानिक कटौती से कम हैं तो इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अमान्य कर दिया जाएगा। सर्विस चार्ज टीडीएस कटौत्रा राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा।	यदि कोई भी फर्म निरंक चार्जेस की राशि निविदा में भरता हैं तो इस तरह की निविदा दर को गैर–जिम्मेदार माना जाएगा और इस पर विचार नही किया जाएगा। शासन द्वारा निर्धारित टीडीएस (आयकर एवं जीएसटी) एवं अन्य तरह के दायित्व की वैधानिक कटौती को पुरा करने के लिए सेवा शुल्क पर्याप्त होना चाहिए। निविदा में भरी गई दरें/सेवा शुल्क की राशि वैधानिक कटौती से कम हैं तो इस तरह की निविदा को सरसरी तौर पर अमान्य कर दिया जाएगा। सर्विस चार्ज टीडीएस कटौत्रा राशि से अधिक होना अनिवार्य होगा। तथा भविष्य में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा घोषित कर वृद्धि की देयता भी सेवा शुल्क से पूर्ति हो सुनिश्चित कर लेवें।

4	निविदा की नियम व शर्तें की मुख्य कंडिका 13 पर	निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय वेतन (गुणवत्ता कर्मी) हेतु राशि रू. 18000.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही परिशिष्ट–1 में निविदा दरें भरी जायेगी।	निविदाकार को, शासन द्वारा निर्धारित प्रतिमाह मानदेय वेतन (गुणवत्ता कर्मी) हेतु राशि रू. 14200.00 प्रतिमाह है। निविदाकार द्वारा इस दर को ध्यान में रख कर ही परिशिष्ट–1 में निविदा दरें भरी जायेगी।
5	निविदा की नियम व शर्तें में अन्य शर्तें की कंडिका 8 पर	अन्य शर्तें की कंडिका 8 में उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा। उक्त अवकाश दिवस की पात्रता शासन के निर्देशानुसार बदलाव किये जाने का निर्णय प्रबंध संचालक महोदय के अधिकार में होगा।	उपलब्ध कराये जा रहे कर्मियों को एक वर्ष में कुल 18 दिवस आकस्मिक अवकाश की पात्रता रहेंगी, किन्तु एक बार में निरंतर तीन दिवस से अधिक आकस्मिक अवकाश लेने पर अवैतनिक किया जावेगा।
6	निविदा की नियम व शर्तें में अन्य शर्तें की कंडिका 12 पर	अन्य शर्तें की कंडिका 12 – मानदेय/वेतन की दरों शासन द्वारा परिवर्तन किये जाने पर तदानुसार दर प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति उपरांत संशोधित की जा सकेगी, इस पर अंतिम निर्णय का अधिकार निगम का होगा।	उक्त कंडिका को विलोपित किया गया है।
7	परिशिष्ट 1 कीं कंडिका 1 पर	गुणवत्ता कर्मी का मासिक मानदेय राशि 18000.00 (अठारह हजार दो सौ)	गुणवत्ता कर्मी का मासिक मानदेय राशि 14200.00
8	परिशिष्ट 1 कीं कंडिका 3 पर	–	नोटः–ईपीएफ एवं ईएसआईसी अधिनियम के अंतर्गत लागू न्यूनतम वेतन के अंतर्गत उक्त दोनों राशि का कटौत्रा किया जाना है तद्नुसार ही उपरोक्त तालिका में राशि की प्रविष्टी करेंगे।

टीप :– **शेष निविदा की नियम एवं शर्तें निविदा सूचना क्रमांक 695/A दिनांक 25.08.2023 के अनुसार यथावत रहेगा।**

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

कार्यपालन संचालक(वित्त)